म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/लाइसेंस/476/1459 भोपाल, दिनांक 7/03/2019

प्रति,

1 संयुक्त/उपसंचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय –(समस्त)

2 सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.... –(समस्त)

विषयः–एमपी ऑनलाईन के माध्यम से मंडी कृत्यकारी अनुज्ञप्ति प्रदाय के संबंध मे।

संदर्भः–मंडी बोर्ड के पत्र क्रमांक/बोर्ड/नियमन/लाइसेंस/476/पार्ट/590 दिनांक 06 नवंबर 2018

उपरोक्त विषय मे लेख है कि पूर्व मे संदर्भित पत्र से आपको निर्देशित किया गया था कि एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर सचिव के लॉगिन में अगर कोई आवेदन दिखाया दे रहा है तो उसकी आवेदन फीस जमा हो गई है और एमपी ऑनलाईन के पास है, जो शीघ्र ही मंडी खाते में अंतरित कर दी जाएगी। अतः मंडी सचिव अपने लॉगिन में उपलब्ध प्रत्येक आवेदन का समयावधि में निराकरण करें और सभी औपचारिकता पूर्णता की स्थिति में अनुज्ञप्ति जारी करना सुनिश्चित करे। केवल इस कारण से कि मंडी में फीस प्राप्त नही हुई है, किसी भी आवेदन को लंबित नही रखा जाये।

किन्तु वर्तमान मे भी मण्डी सचिवो/कर्मचारियो के द्वारा अनुज्ञप्ति फीस प्राप्त नही होने का करण बताकर आवेदनो को अनावश्यक लंबित रखा जाता है साथ ही मुख्यालय से अनावश्यक पत्राचार एवं दूरभाष पर मार्गदर्शन मांगा जाता रहता है।

एमपी ऑनलाईन पर लंबित आवेदनो की संख्या इसी कारण से बढ़ती जा रही है।

एमपी ऑनलाईन पर प्राप्त अनुज्ञप्ति फीस, आईसीआईसीआई बैंक के पैमेन्ट गेटवे के माध्यम से मण्डियो को अंतरित करने की कार्यवाही प्रचलन मे है और शीघ्र ही अनुज्ञप्ति फीस मण्डियो को नियमित रूप से प्राप्त होने लगेगी।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार, आईसीआईसीआई बैंक के पैमेन्ट गेटवे के माध्यम से मण्डियो को अनुज्ञप्ति फीस, अंतरित करने कार्यवाही पूर्ण होने तक के लिए, **मंडी सचिव अपने लॉगिन में उपलब्ध प्रत्येक आवेदन का समयावधि में निराकरण करें और सभी औपचारिकता पूर्णता की स्थिति में अनुज्ञप्ति जारी करना सुनिश्चित करे। केवल इस कारण से कि मंडी में फीस प्राप्त नही हुई है, किसी भी आवेदन को लंबित नही रखा जाये।**

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल